भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **844** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

समुद्री सुरक्षा और संरक्षा

† 844. श्री बैन्नी बेहनन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों में सुरक्षा और संरक्षा के लिए कोई नई पहल अथवा प्रौद्योगिकियां शुरू की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल की तटरेखा के किनारे समुद्री सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) केरल में पत्तनों, पोत परिवहन और जलमार्ग परियोजनाओं के लिए वर्तमान/ विगत वित्त वर्ष के लिए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पत्तनों में सुरक्षा और संरक्षा के लिए निम्नलिखित नई पहल अथवा प्रौद्योगिकियां शुरू की गई हैं:-

i. केन्द्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन (पोत एवं पत्तन सुविधा संरक्षा) नियमावली, 2024 दिनांक 19 जून, 2024 को अधिसूचित की गई है। ये नियम, सुरक्षा कन्वेंशन [एसओएलएएस (समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन) के प्रावधान और एसओएलएएस अध्याय XI-2 के अंतर्गत लागू की गई आईएसपीएस संहिता] को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं।

ii. महापत्तनों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली और बायोमैट्रिक प्रणाली के उपयोग सहित वर्तमान एक्सेस (पहुंच) नियंत्रण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए पहल की हैं। इसके अतिरिक्त, सभी महापत्तनों पर क्लोजड सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) लगाए गए हैं।

(ख): केरल की तटरेखा के किनारे समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. सभी तटीय राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में दो चरणों में चरण-I (2005-2011) और चरण-II (2012-2020), तटीय सुरक्षा योजना कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत केरल ने 18 तटीय पुलिस स्टेशन और 2 जेट्टियां स्थापित कीं तथा 24 इंटरसेप्टर नौकाएं (12 टन और 5 टन), 26 चार पहिया वाहन और 56 मोटर साईकलों की खरीद की।

ii. स्टीरिंग कमिटी ऑन रिव्यू ऑफ कोस्टल सिक्यूरिटी (एससीआरसीएस) के निर्देशों के अनुपालन में नोडल अधिकारी तटीय सुरक्षा, केरल नियुक्त किया गया।

(ग): सागरमाला, मंत्रालय की एक प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है। वित्त मंत्रालय द्वारा सागरमाला योजना के लिए प्रदान की गई निधियां स्वतंत्र प्रकार की निधियां हैं और परियोजना-वार/ राज्य-वार नहीं हैं। वर्ष के दौरान अनुमोदनों और परियोजना की लक्षित तारीखों के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सागरमाला योजना के अंतर्गत केरल राज्य को 6.62 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

*****